

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 4/2023

बउनवान

नन्दकिशोर आयु 58 वर्ष पुत्र श्री पांचू लाल, जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील
मांगरोल जिला बारां, राज०

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री भगवान सिंह हाड़ा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)


(रेस्पोंडेंट)


निर्णय दिनांक— 20.05.2024

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश
दिनांक 27.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत
इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल
की आराजी खसरा नम्बर 1800 रकबा 0.32 है., किस्म-चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने
का दोषी मानकर दिनांक 27.02.2023 को निर्णय पारित कर 384/-रूपये शास्ति आरोपित
कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय
खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय
है। अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेही का अवसर नहीं दिया तथा बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये
अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने उक्त वर्णित
आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट ने सरकारी ताबान राशि भी जमा करवा
दी है तथा उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ
न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2023 प्रकरण संख्या 372/2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब
किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर
विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित  को दोहराते हुए
कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट
का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर



जिला कलक्टर



हे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त कर्नावे।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत् 2077 में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 152/2021 निर्णय दिनांक 19.02.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0न0 1800 रकबा 0.32 है0 किस्म चारागाह ग्राम बमोरीकलां पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 152/2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न प्रमाणित प्रति पी.14 से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 372/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया



Pub
(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)